

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—सामा./आर.एच./12/

दिनांक:

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

राजस्थान।

विषय:— शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु निदेशालय द्वारा आंवटित राशि का व्यय विवरण भिजवाने के क्रम में।

सन्दर्भ—निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक सामान्य/आरएच/11/69 एवं 70 दिनांक 11.11.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक सामान्य/आरएच/11/69 एवं 70 दिनांक 11.11.11 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में आपको शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय एवं निदेशक (आर.सी.एच) द्वारा भिजवाई गई राशि का व्यय विवरण चाहा गया है, जो आज दिनांक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि प्राप्त आंवटित राशि अनुसार व्यय विवरण अविलम्ब भिजवावें ताकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार को अवगत करवाया जा सके।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

नोडल अधिकारी (स्कूल हैल्थ प्रोग्राम)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें


राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—सामा./आर.एच./12/20

दिनांक: 30-3-12

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, राज0, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज0 को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित जिलों से रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित कर अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी सर्वर रूम को नेट में पर डालने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।



नोडल अधिकारी (स्कूल हैल्थ प्रोग्राम)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर।